



# भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश

राज्य मुख्यालय,

शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल म.प्र. ।

Phone ① : (0755)2661263, 2737446 Fax: (0755)2661263

Website: bsgmp.net E\_mail: bsgmadhyapradesh@gmail.com

अध्यक्ष : श्री अशोक अर्गल

राज्य मुख्य आयुक्त : श्री पारसचंद्र जैन

क्रमांक / 3702 / रा.मु. / कार्या. अधी. / 2018

भोपाल, दिनांक 31/10/2018

प्रति,

समस्त सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड)  
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश  
समस्त संभागीय कार्यालय ।

विषय:- भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. संविदा अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन एवं गोपनीय प्रतिवेदन प्रपत्र ।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्र. 2849-50 दिनांक 11.09.2018 ।

\*\*\*

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में अवगत हो कि भारत स्काउट एवं गाइड म. प्र. की राज्य कार्यकारिणी बैठक दिनांक 28 अगस्त 2018 में लिये निर्णयानुसार भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश में कार्यरत एवं भविष्य में नियुक्त होने वाले संविदा कर्मचारियों के लिये "भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. संविदा कर्मचारी सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018" दिनांक 01.09.2018 से प्रभावशील किये गये हैं। इन नियमों की प्रति आपकी ओर प्रेषित की जा चुकी है।

भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. संविदा कर्मचारी सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के बिंदु 07 अनुसार -संविदा पर नियुक्त समस्त कर्मचारियों का प्रतिवर्ष संविदा नवीनीकरण किया जायेगा। यह नवीनीकरण कार्य, व्यवहार एवं प्रतिवर्ष लिखी जाने वाली वार्षिक गोपनीय चरित्रावली के आधार पर होगा।

कार्यव्यवहार प्रतिवेदन/चरित्रावली हेतु निम्नांकित प्रक्रिया निर्धारित होगी :-

क्र.	पद	प्रथम मतांकनकर्ता अधिकारी	द्वितीय मतांकनकर्ता अधिकारी	अंतिम मतांकनकर्ता अधिकारी
1	संविदा लेखाधिकारी	राज्य सचिव	राज्य कोषाध्यक्ष	राज्य मुख्य आयुक्त
2.	संविदा सहा. राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड)	राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड)	राज्य सचिव	राज्य आयुक्त (स्काउट/गाइड)
3	संविदा जिला संगठक (स्काउट/गाइड)	संबंधित सहा. राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड)	एस.ओ.सी. (स्का. /गा.)	राज्य सचिव
4	संविदा कम्प्यूटर आपरेटर	कक्ष प्रभारी / संबंधित सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड)	संयुक्त राज्य सचिव	राज्य सचिव/ राज्य कोषाध्यक्ष (लेखा शाखा के कर्मचारियों हेतु)
5	संविदा कार्यालय सहायक	नियंत्रणकर्ता अधिकारी	संयुक्त राज्य सचिव	राज्य सचिव/ राज्य कोषाध्यक्ष (लेखा शाखा के कर्मचारियों हेतु)
6	संविदा वार्डन	राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट)	राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट)	राज्य सचिव
7	संविदा वाहन चालक	वाहन प्रभारी		राज्य सचिव
8	संविदा भृत्य	कार्यालय प्रमुख / कार्यालय अधीक्षक	संयुक्त राज्य सचिव	राज्य सचिव

..01..

अंतिम मतांकन के विरुद्ध राज्य मुख्य आयुक्त को अपील की जा सकेगी एवं राज्य मुख्य आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।


नियमित पदों के अतिरिक्त कार्यरत संविदा कर्मचारियों के कार्यव्यवहार प्रतिवेदन उनके तात्कालिक अधिकारियों के माध्यम से सीधे राज्य सचिव को प्रस्तुत किया जावेगा।

कार्य व्यवहार प्रतिवेदन "ख" श्रेणी से कम होने पर संविदा अवधि में वृद्धि नहीं की जावेगी।

कृपया उक्त नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत आपके अधिनस्थ संभाग एवं जिलों में कार्यरत मतांकन अधिकारियों को उपलब्ध करावें। संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों की संविदा वृद्धि इन नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार होगी। आपके अधिनस्थ संविदा कर्मचारियों की सेवा वृद्धि हेतु, सम्बन्धित की संविदा सेवा समाप्ति की तिथि के 01 माह पूर्व, संलग्न कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन एवं गोपनीय प्रतिवेदन की पूर्ति कर, अनिवार्यतः राज्य मुख्यालय को प्रेषित किये जावे।

संलग्न प्रपत्रों में जिस पद की संविदा वृद्धि हेतु प्रपत्र पूर्ण कर भेजा जावे उसके अनुसार मतांकनकर्ता अधिकारी का नाम एवं पद लिखा जावे।

संलग्न : उक्तानुसार ।

  
(आलोक खरे)

राज्य सचिव


भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.

१४

पृ. क्रमांक/३७०३/रा.मु./कार्या. अधी./2018  
प्रतिलिपि:-


भोपाल, दिनांक 31/10/2018

1. राज्य मुख्य आयुक्त, भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र., राज्य मुख्यालय भोपाल ।
2. राज्य कोषाध्यक्ष, भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र., राज्य मुख्यालय भोपाल ।
3. संयुक्त राज्य सचिव, भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र., राज्य मुख्यालय भोपाल ।
4. लेखाधिकारी/गणक, भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र., राज्य मुख्यालय भोपाल ।
5. राज्य संगठन/प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड), राज्य मुख्यालय भोपाल ।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग म.प्र.।
7. प्रबंधक, साज-सज्जा कक्ष/ प्रभारी-जनसंपर्क कक्ष, राज्य मुख्यालय, भोपाल म.प्र.।
8. सहायक सचिव, भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र., राज्य मुख्यालय भोपाल ।
9. समस्त जिला संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड), भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.।
10. कार्यालय अधीक्षक, भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र., राज्य मुख्यालय भोपाल ।
11. वार्डन, भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र., राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, गांधीनगर, भोपाल ।
12. स्थापना/मास्टर फाईल ।

  
राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.

१४



# भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश

राज्य मुख्यालय,

शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल म.प्र. ।

Phone ① : 0755-2661263, 2737446 Fax: 2661263

Website: bsgmp.net, bsgmadhyapradesh@gmail.com

क्रमांक /

दिनांक

संविदा लेखाधिकारी / संविदा सहा.राज्य संगठन आयुक्त / संविदा जिला संगठक आयुक्त /  
संविदा कम्प्यूटर आपरेटर / संविदा कार्यालय सहायक / संविदा वार्डन / संविदा वाहन चालक / संविदा भृत्य की  
संविदा नवीनीकरण हेतु

:- कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन :-


कर्मचारी का नाम ..... पदस्थ स्थल.....

पारिश्रमिक राशि ..... सं.नियु.आदेश क्र. / दिनांक .....

कर्मचारी को वर्ष में कौन-कौन से काम दिये गये	कार्य जो कर्मचारी द्वारा किये गये	वर्षान्त पर कार्य शेष

1. अनुशासन :-
2. वर्ष की उपस्थिति एवं समय की पाबंदी :-
3. कार्य करने की क्षमता एवं तत्परता :-
4. आचार व्यवहार :-
5. अन्य उल्लेखनीय कार्य :-
6. संविदा नियुक्ति में वृद्धि करने की अनुशंसा :-

सक्षम अधिकारी

**भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश**

राज्य मुख्यालय, भोपाल म.प्र.।

संविदा लेखाधिकारी / संविदा सहा.राज्य संगठन आयुक्त / संविदा जिला संगठक आयुक्त /  
संविदा कम्प्यूटर आपरेटर / संविदा कार्यालय सहायक / संविदा वार्डन / संविदा वाहन चालक /संविदा भृत्य की संविदा नवीनीकरण हेतुगोपनीय प्रतिवेदन लेखन

वर्ष - .....

1. नाम - .....
2. धारित पद - .....पदस्थी स्थान.....
3. वेतन - .....
4. कर्तव्यों का संक्षिप्त विवरण - .....
5. व्यक्तित्व एवं व्यवहार - .....
6. आचरण एवं चरित्र - .....
7. सहयोगी / अधिकारियों से संबंध - .....
8. उपस्थिति में नियमितता / समयबद्धता - .....
9. टाइपिंग / कम्प्यूटर की प्रवीणता - .....
- .....
10. कार्यालयीन प्रक्रिया और नियमों का ज्ञान एवं प्रयोग करने की योग्यता - .....
- .....
11. प्रकरण परीक्षण की योग्यता - .....
12. कार्य निपटाने में दक्षता - .....
13. सनिष्ठा - .....
14. कार्य से संबंधित पंजी / अभिलेखों का रखरखाव - .....
15. कोई असाधारण उल्लेखनीय कार्य - .....
16. पदोन्नति की उपयुक्ता - .....
17. सामान्य अभियुक्ति - .....
18. श्रेणीकरण - .....

+(क) उत्कृष्टता (क) बहुत अच्छा (ख) अच्छा (ग) सामान्य (घ) खराब

टीप :- किसी भी कर्मचारी को उत्कृष्ट श्रेणी में वर्गीकृत न किया जाय, जब तक की साधारण गुण एवं दोष निष्पादन न देखा गया हो और स्पष्ट आधार न हो।

स्थान - .....

दिनांक - .....

प्रथम

मतांकनकर्ता अधिकारी

(नाम एवं पद)

द्वितीय

मतांकनकर्ता अधिकारी

(नाम एवं पद)

तृतीय

मतांकनकर्ता अधिकारी

(नाम एवं पद)